न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 062015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 गगदा पुत्र काजीया		1 वीरमा पुत्र गेना
2 सूरता पुत्र काजीया जातिगण मेगवंशी निवासीगण गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर		2 हमीरा पुत्र गेना जातिगण मेगवंशी निवासीगण गोलासन तहसील सांचोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8.6.18

अपीलांट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत उपखण्ड अधिकारी, सांचोर के न्यायालय प्रकरण संख्या 28/2013 बअनवान गगदा बनाम वीरमा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 925, 926 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 916 व 918 में से नये मार्ग हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रेकर्डेड रास्ता पूर्व की तरफ व खसरा नम्बर 927, 928, 929 में से है, जो सुविधाजनक एवं निकटतम है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई उसमें खसरा नम्बर 336 व 929 के बीच रास्ता बताया गया है, जो खसरा नम्बर 335 है, जिस पर आवागमन हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 926 के उत्तर दिशा की माठ की तरफ से खसरा नम्बर 927, 928, 929 के उत्तर की तरफ से रास्ता उपलब्ध है, रेस्पोडेन्ट को उसी तरफ से रास्ते की

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मांग की जानी थी, जो नहीं की गई। खसरा नम्बर 925 से 929 रेस्पोडेन्ट के सम्बन्धीयों की ही भूमियां है, जो विभाजन पश्चात रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आई है। उक्त भूमियों में रेस्पोडेन्ट पूर्व से आवागमन करते थे, अब मात्र अपीलाण्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय सिविज जज (वरिष्ठ खण्ड) सांचोर में रास्ते की सुखाधिकार का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा नम्बर 928 में रास्ता होना एवं उपयोग किया जाना बताया। इस कारण अब विरोधाभाषी तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता नहीं मांगा जा सकता है। जहां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो, वहां धारा 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। इन समस्त कारणो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट तलब की जाकर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। यह निर्विवादित तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष सुखाधिकार का वाद प्रस्तुत किया था, क्योंकि उस समय धारा 251ए प्रभाव में नहीं आई थी। उक्त धारा प्रभाव में आने के पश्चात वो वाद विड्रो किया जा चुका था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में तरमीम भी हो चुकी है तथा आदेशानुसार पालना भी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक त्रुटी नहीं है, जिसके कारण अपील स्वीकार योग्य पाई जाती हो। लिहाजा अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा गोलासन के खसरा नम्बर 925 व 926 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 916 व 918 मे से 15 फुट चौडा मार्ग प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वही तथ्य प्रकट किए, जिनका उल्लेख अपील में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न मौका फर्द दिनांक 10.12.2015 के अनुसार स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का मौका निरीक्षण किया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 974 में से 927 की दक्षिण पश्चिमी माठ तथा खसरा नम्बर 918 की उत्तरी माठ के सहारे सहारे रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग को निकटतम एवं सुलभ माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं निकटतम/लघुतम मार्ग की उपलब्धता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा जैर अपील प्रकरण में विवादित आराजी का मौका निरीक्षण किया गया है, जिसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण निकटतम मार्ग के तौर पर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान कराने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सांचोर के न्यायालय प्रकरण संख्या 28/2013 बअनवान गगदा बनाम वीरमा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर